राम लाल और अन्य

बनाम

सालिग राम एवं अन्य

(2009 की सिविल अपील संख्या 8285)

04 फरवरी, 2019

[न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

आदेश XXVI, नियम 10 (3) – निषेधात्मक निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा – निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया – प्रथम अपीलीय अदालत ने अतिरिक्त मुद्दे तय किए कि क्या प्रतिवादियों ने विचाराधीन भूमि पर अतिक्रमण किया था और किस हद तक - स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति करके अपने निष्कर्ष के लिए निचली अदालत को अतिरिक्त मुद्दे को भेज दिया - निचली अदालत ने स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद वादी के पक्ष में अतिरिक्त मुद्दे पर अपना निष्कर्ष लौटा दिया - इसके बाद प्रथम अपीलीय अदालत ने अनुमति दी। दूसरी अपील में, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया कि स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि रिपोर्ट लागू निर्देशों के अनुपालन की कमी से पीड़ित थी और प्रतिवादियों द्वारा अतिक्रमण साबित करने वाला कोई अन्य सबूत नहीं था - अपील पर, कहा गया: आदेश XXVI के अनुसार, नियम 10 (3) जहां न्यायालय एक स्थानीय आयुक्त की कार्यवाही से असंतुष्ट है, वह आगे की जांच का निर्देश दे सकता है - इसलिए, उच्च न्यायालय के लिए उचित तरीका या तो एक नया आयोग जारी करना या मामले को पुनर्विचार के लिए रिमांड पर भेजना था - पूरे मुकदमे को अनियमितता के लिए खारिज नहीं किया जा सकता था - उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर अन्य सबूतों की भी अनदेखी की है - मुद्दे में सभी सवालों के न्यायसंगत और प्रभावी निर्धारण के लिए, उचित तरीका यह है कि एक नया आयोग जारी किया जाए और निचली अदालत को पूरे मुकदमे पर नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया जाए।

अपील को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा:

1. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने न केवल आयुक्त की रिपोर्ट का उल्लेख किया, बल्कि पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का भी उल्लेख किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह भी कहा कि आयुक्त ने उचित तरीके से सीमांकन करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई थी और रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हालांकि इस मामले को पर्याप्त विस्तार से निपटाया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वित्तीय आयुक्त द्वारा लागू निर्देशों और दिशानिर्देशों के संदर्भ में इस तरह के सीमांकन करने की विधि और प्रक्रिया पर विचार नहीं किया गया है, जैसा कि वित्तीय आयुक्त द्वारा पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 100 के तहत जारी किया गया है, जो हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 106 के अनुरूप है। 1953. [पैरा 14] [1071-ई-एफ]

2. स्थानीय जांच के लिए ऐसे आयोग के संबंध में प्रक्रिया सीपीसी के आदेश XXVI_ के नियम 9 और 10 में निर्दिष्ट है। आदेश XXVI के नियम 10 के खंड (3) के अनुसार, जहां न्यायालय ऐसे स्थानीय आयुक्त की कार्यवाही से असंतुष्ट है, वह इस तरह की आगे की जांच को उचित मानते हुए करने का निर्देश दे सकता है। [पैरा 16] [1072-सी]

3. यदि स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट अनियमितता से ग्रस्त थी, तो उच्च न्यायालय के लिए उचित तरीका यह था कि या तो एक नया आयोग जारी किया जाए या मामले को पुनर्विचार के लिए रिमांड पर भेजा जाए, लेकिन स्थानीय आयुक्त की ओर से किसी भी अनियमितता के लिए पूरे मुकदमे को खारिज नहीं किया जा सकता था। इसलिए, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण, जहां आयुक्त की रिपोर्ट को खारिज करने के बाद, उच्च न्यायालय ने सीधे मुकदमा खारिज कर दिया, को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। वादी अपनी भूमि पर प्रतिवादियों द्वारा अतिक्रमण का दावा कर रहे हैं और इस संबंध में मौखिक और दस्तावेजी सबूत भी पेश किए हैं। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील की अनुमति दी थी और वादी द्वारा दायर मुकदमे को न केवल आयुक्त की रिपोर्ट के संदर्भ में बल्कि पार्टियों के अन्य सबूतों के संदर्भ में भी डिक्री किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सबूतों की अनदेखी की है। [पैरा 17] [1072-एफ-एच; 1073-ए-बी]

4. इस मामले में शामिल सभी प्रश्नों के न्यायसंगत और प्रभावी निर्धारण के लिए, उचित तरीका यह है कि एक नया आयोग जारी किया जाए और निचली अदालत को निर्देश दिया जाए कि वह मूल रूप से तैयार किए गए मुद्दों पर और साथ ही अतिरिक्त मुद्दों पर स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट को नए सिरे से लेने के बाद पूरे मुकदमे पर नए सिरे से फैसला करे और पार्टियों को अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करे, यदि कोई हो। [पैरा 18] [1073-सी]

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नंद और अन्य 1992 (2) एसएलसी 307- संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

1992 (2) एसएलसी 307 पैरा 8 को संदर्भित किया गया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2009 की सिविल अपील संख्या 8285।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के दिनांक 06.11.2007 के निर्णय और आदेश से आर.एस.ए. सं. 260 में 1995.

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्रीमती प्रिया पुरी, रंजय दुबे, सुश्री विनीता, एस.के.पुरी।

जेतेंद्र सिंह, सुश्री मंजू जेटली, प्रतिवादियों के लिए वकील।

अदालत का फैसला न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने सुनाया।

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील 1995 के आरएसए संख्या 260 में दिनांक 06.11.2007 के निर्णय और डिक्री के खिलाफ निर्देशित की जाती है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 1988 के सिविल अपील संख्या 154 में जिला न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा पारित दिनांक 06.06.1995 के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया और परिणामस्वरूप, वादी-अपीलकर्ताओं द्वारा दायर मुकदमे (1986 की संख्या 23/1) को खारिज कर दिया। विवाद में भूमि के कब्जे की वसूली के लिए।

2. शुरुआत में, इस मामले की एक संक्षिप्त रूपरेखा के लिए यह देखा जा सकता है कि वादी-अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादियों द्वारा विचाराधीन भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास करने का आरोप लगाया था। निचली अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया। हालांकि, प्रथम अपीलीय अदालत ने निचली अदालत द्वारा इस सवाल पर खोजने के लिए अतिरिक्त मुद्दों को भेज दिया कि क्या प्रतिवादियों ने भूमि पर अतिक्रमण किया था और किस हद तक; और इस उद्देश्य के लिए, निचली अदालत को एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त करने और आयुक्त की रिपोर्ट पर आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद मामले पर फैसला करने का निर्देश दिया गया था। आयुक्त की रिपोर्ट के बाद, प्रतिवादियों-प्रतिवादियों ने आपत्तियां उठाईं, जिन्हें खारिज कर दिया गया और उसके बाद, निचली अदालत ने वादी के पक्ष में अतिरिक्त मुद्दों पर अपने निष्कर्ष वापस कर दिए। इसके बाद, अपीलीय अदालत ने अपील की अनुमति दी और मुकदमा सुनाया। हालांकि, प्रतिवादियों द्वारा दूसरी अपील में, उच्च न्यायालय ने पाया कि स्थानीय आयुक्त ने लागू निर्देशों के अनुसार सीमांकन नहीं किया था; और यह फैसला सुनाते हुए कि ऐसी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और आगे यह कहते हुए कि कोई अन्य सबूत नहीं था कि प्रतिवादियों ने वादी की भूमि पर अतिक्रमण किया था, दिनांक 06.11.2007 के अपने आक्षेपित फैसले द्वारा अपील की अनुमति देने के लिए आगे बढ़े।

3. इस प्रकार, इस अपील में निर्धारण की मांग करने वाला प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय की डिक्री को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि स्थानीय आयुक्त ने लागू निर्देशों के अनुसार सीमांकन नहीं किया था?

4. इसमें शामिल छोटे बिंदु को देखते हुए, सभी तथ्यात्मक पहलू पर फैलाव आवश्यक नहीं है। प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलुओं का एक संक्षिप्त संदर्भ पर्याप्त होगा। वादी-अपीलकर्ताओं ने इस अपील के लिए मुकदमा दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि वे खसरा नंबर 146 में शामिल भूमि के मालिक और कब्जे में हैं, जो गांव सौंखर, परगना अजमेरपुर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर में शामिल है और प्रतिवादी-प्रतिवादी, पड़ोसी खसरा नंबर 148 के मालिक होने के नाते कब्जा लेने और अपनी जमीन के एक हिस्से पर निर्माण करने की मांग कर रहे थे। प्रतिवादियों द्वारा अपना लिखित बयान दायर करके मुकदमे का विरोध किया गया था। निचली अदालत ने इस मामले में शामिल प्रश्नों के निर्धारण के लिए निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए: -

1. क्या वादी मुकदमे की जमीन पर मालिक हैं, जैसा कि आरोप लगाया गया है?

2. यदि मुद्दा संख्या 1 सकारात्मक साबित होता है, तो क्या प्रतिवादी मुकदमा भूमि पर हस्तक्षेप कर रहे हैं जैसा कि आरोप लगाया गया है?

3. क्या मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है जैसा कि आरोप लगाया गया है?

4. क्या मुकदमा समय के भीतर नहीं है जैसा कि आरोप लगाया गया है?

5. क्या मुकदमे का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है जैसा कि आरोप लगाया गया है?

6. राहत।

5. निचली अदालत ने अपने 30.09.1988 के फैसले और डिक्री द्वारा, वादी के खिलाफ मुद्दा संख्या 2 पर फैसला करते हुए, मुकदमा खारिज कर दिया। तथापि, वादी द्वारा पसंद की गई अपील में, प्रथम अपीलीय

न्यायालय ने दिनांक 24-01-1991 के अपने आदेश द्वारा निम्नलिखित दो अतिरिक्त मुद्दों को निचली अदालत द्वारा निर्धारण के लिए भेज दिया:-

"2-ए। क्या प्रतिवादियों ने वाद भूमि पर अतिक्रमण किया है, यदि हां, तो किस हद तक और कैसे और कब से इसका प्रभाव? यदि मुद्दा संख्या 2-ए साबित हो जाता है, तो क्या वादी कब्जे की वैकल्पिक राहत का हकदार है?

निचली अदालत को एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त करने और आयुक्त की रिपोर्ट के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद, इसके निष्कर्षों को रिकॉर्ड करने और अपीलीय न्यायालय को वापस करने का भी निर्देश दिया गया था। निचली अदालत ने, तदनुसार, एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया; आयुक्त की रिपोर्ट पर आपत्तियां आमंत्रित की गईं; और रिपोर्ट की पुष्टि करने के बाद, 25.09.1991 को वादी के पक्ष में उपरोक्त अतिरिक्त मुद्दों पर निष्कर्षों को वापस कर दिया।

6. निचली अदालत के निष्कर्षों को प्राप्त करने के बाद, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अंतिम निपटान के लिए 1988 की सिविल अपील संख्या 154 ली। पक्षकारों की दलीलों के साथ-साथ स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के साथ उनके द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी सबूतों की जांच करने के बाद, प्रथम अपीलीय अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विवादित निर्माण वाद भूमि पर उठाया गया था और वादी कब्जे की राहत के हकदार थे जैसा कि विकल्प में दावा किया गया था। अपीलीय अदालत ने प्रतिवादियों-प्रतिवादियों की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि वे संबंधित भूमि की कीमत का भुगतान करने या भूमि का आदान-प्रदान करने के लिए तैयार हैं। इसलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निचली अदालत के डिक्री को पलट दिया और वाद को निम्नानुसार डिक्री किया: - मैं अपीलकर्ताओं के पक्ष में हूं और प्रतिवादियों के खिलाफ हूं, अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील स्वीकार की जाती है। प्रतिवादियों के खिलाफ कब्जे के लिए अपीलकर्ताओं का मुकदमा 25 बिस्वानसी की भूमि के लिए डिक्री किया जाता है, जैसा कि स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के साथ संलग्न टाटिमा प्रदर्शनी सी -2 में दिखाया गया है। इसलिए, विध्वंस के लिए डिक्री अपीलकर्ताओं के पक्ष में पारित की जाती है और उत्तरदाताओं के खिलाफ टाटिमा एक्ज़िबिट सी -2 में दिखाई गई भूमि के लिए, जिसमें 25 बिस्वंसी शामिल हैं, जो डिक्री-शीट का हिस्सा होगा। बचाव पक्ष को निर्माण हटाने के लिए दो महीने का समय दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर वादी अदालत की प्रक्रिया के माध्यम से राहत प्राप्त करने के हकदार होंगे। तदनुसार डिक्री-शीट तैयार की जाए। पूरे समय लागत के साथ अपील की अनुमति दी जाती है। फाइल को रिकॉर्ड रूम में भेज दिया जाए।

7. उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के खिलाफ दूसरी अपील को कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर स्वीकार कर लिया:-

"1. क्या स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट पर अपीलकर्ताओं की आपत्तियों को खारिज करने के लिए नीचे दी गई विद्वान अदालतें उचित थीं?

2. क्या स्थानीय आयुक्त की सीमांकन रिपोर्ट, मुसाबी और अन्य राजस्व रिकॉर्ड पर विचार किए बिना, अवैध नहीं थी?

3. क्या विद्वान जिला न्यायाधीश का मामले को रिमांड पर भेजना उचित था?

4. क्या विद्वान अदालतों ने प्रतिवादियों के सबूतों की अनदेखी की जो मामले की जड़ तक जाते हैं।

8. उच्च न्यायालय ने अनिवार्य रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नंद और अन्य: 1992 (2) एसएलसी 307 के मामले में न्यायालय की खंडपीठ के फैसले के संदर्भ में कहा कि सीमांकन अधिकारी को खसरा नंबर 146 के विभिन्न किनारों पर तीन स्थायी बिंदुओं का पता लगाने की आवश्यकता थी, जिन्हें सीमांकित किया जाना था; और जब स्थानीय आयुक्त ने ऐसे स्थायी बिंदुओं को तय नहीं किया और रिपोर्ट में मुसाबी या मोमी का कोई संदर्भ नहीं था, तो स्थानीय आयुक्त ने लागू निर्देशों के अनुसार सीमांकन नहीं किया था। इस कारण से, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों के पक्ष में प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर दिया, जबकि अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार देखें: –

"16..... स्थानीय आयुक्त ने खसरा नंबर 146 के तीन अलग-अलग किनारों पर तीन स्थायी बिंदु तय नहीं किए। एक्ज़िबिट सी-1 रिपोर्ट में मुसाबी या मोमी का कोई संदर्भ नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम लक्ष्मी नंद और अन्य (सुप्रा) के अनुसार, डिमार्केशन अधिकारी को तीन स्थायी बिंदुओं को लेने से पहले इच्छुक पक्षों के बयान दर्ज करने की भी आवश्यकता होती है कि वे सभी सहमत हो गए हैं और संपत्ति के तीन अलग-अलग हिस्सों पर स्थायी बिंदुओं के रूप में तीन बिंदुओं को स्वीकार कर लिया है। निचली अपीलकर्ता अदालत के साथ-साथ निचली अदालत ने इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट पर विचार नहीं किया है। स्थानीय आयुक्त ने सीमांकन करने के निर्देशों के अनुसार सीमांकन नहीं किया है, इसलिए, सीमांकन रिपोर्ट प्रदर्शनी सी -1 साक्ष्य का कानूनी टुकड़ा नहीं है, और वादी-उत्तरदाताओं के मुकदमे को डिक्री करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई अन्य सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों ने खसरा नंबर 146 के किसी भी हिस्से का अतिक्रमण किया है, जिसका स्वामित्व प्रतिवादियों-वादियों के पास है। निचली अपीलीय अदालत ने प्रतिवादियों-वादी के मुकदमे का फैसला करने के लिए स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट एक्ज़िबिट सी -1 पर भरोसा करके गलती की है, इसलिए, आक्षेपित निर्णय और डिक्री को रद्द किया जा सकता है। कानून संख्या 1 और 2 के पर्याप्त प्रश्नों का उत्तर अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों के पक्ष में और प्रतिवादियों-वादियों के खिलाफ दिया गया है।

9. प्रतिवादियों के पक्ष में उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देने के बाद और यह देखते हुए कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई अन्य सबूत नहीं था कि प्रतिवादियों ने खसरा नंबर 146 के किसी भी हिस्से पर अतिक्रमण किया था, उच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और मुकदमा खारिज कर दिया।

10. उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय का विरोध करते हुए, वादी-अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि सीमांकन स्थानीय आयुक्त द्वारा पार्टियों की उपस्थिति में और उन्हें सुनने के बाद किया गया था; और उनकी रिपोर्ट को जब निचली अदालत और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, तो उच्च न्यायालय द्वारा केवल तीन स्थायी बिंदुओं को तय करने की तथाकथित कमी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था। विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के अलावा, प्रतिवादियों द्वारा अतिक्रमण को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर मौखिक और दस्तावेजी सबूत थे और इस तरह, उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की थी कि प्रतिवादियों द्वारा अतिक्रमण के सवाल पर स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के अलावा कोई अन्य सबूत नहीं था।

प्रतिवादियों-प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने लक्ष्मी नंद (सुप्रा) में फैसले का उल्लेख करते हुए तर्क दिया है कि स्थानीय आयुक्त ने कानून के अनुसार सीमांकन नहीं किया है, विचाराधीन रिपोर्ट कानूनी सबूत

नहीं थी और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। विद्वान वकील के अनुसार, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई अन्य सबूत नहीं है कि प्रतिवादियों ने खसरा नंबर 146 के किसी भी हिस्से पर अतिक्रमण किया है, उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को सही तरीके से अनुमति दी है और वादी-अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आधारहीन मुकदमे को खारिज कर दिया है।

12. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर गंभीरता से विचार करने के बाद, हमारा स्पष्ट रूप से विचार है कि मुकदमा खारिज करने के लिए अपने अंतिम निष्कर्ष पर लागू निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और पूरे मामले को नए सिरे से विचार के लिए निचली अदालत में भेजा जाना चाहिए।

13. जैसा कि देखा गया है, संक्षेप में, वादी का मामला यह रहा है कि प्रतिवादी खसरा नंबर 146 में शामिल अपनी भूमि के एक हिस्से में हस्तक्षेप कर रहे थे, और अतिक्रमण कर रहे थे। निचली अदालत ने मुकदमे को खारिज कर दिया, लेकिन प्रथम अपीलीय अदालत ने प्रारंभिक चरण में यह उचित और उचित पाया कि आगे के मुद्दों को इस सवाल पर निर्धारित किया जाए कि क्या प्रतिवादियों ने वाद भूमि पर अतिक्रमण किया था और यदि हां, तो इसकी सीमा और तरीका क्या है। निचली अदालत को आगे एक आयुक्त नियुक्त करने और आपत्तियों, यदि कोई हो, पर पक्षों को सुनने और फिर अतिरिक्त रूप से तैयार किए गए मुद्दे संख्या 2-ए और 2-बी पर निष्कर्षों को वापस करने का निर्देश दिया गया था। निचली अदालत ने एक आयुक्त नियुक्त किया जिसने सीमांकन किया; उनकी रिपोर्ट पर आपत्तियों को खारिज कर दिया गया था; और उसके बाद, निचली अदालत ने वादी के पक्ष में निष्कर्षों को वापस कर दिया।

14. निचली अदालत से निष्कर्ष प्राप्त करने के बाद, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 06.06.1995 के अपने विस्तृत फैसले द्वारा अपील का फैसला किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने न केवल आयुक्त की रिपोर्ट का उल्लेख किया, बल्कि पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का भी उल्लेख किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह भी कहा कि आयुक्त ने उचित तरीके से सीमांकन करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई थी और रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हालांकि इस मामले को पर्याप्त विस्तार से निपटाया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के सीमांकन को करने की विधि और प्रक्रिया पर विचार नहीं किया है, जैसा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा लक्ष्मी नंद (सुप्रा) के मामले में लागू निर्देशों और दिशानिर्देशों के संदर्भ में चित्रित किया गया है, जैसा कि पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 100 के तहत वित्तीय आयुक्त द्वारा जारी किया गया है। 1887, हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्या 6) की धारा 106 के अनुरूप।

15. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय आयुक्त ने इस तरह के सीमांकन को पूरा करने के लिए लागू निर्देशों का ईमानदारी से पालन करने से इनकार कर दिया और विशेष रूप से विचाराधीन भूमि के विभिन्न किनारों पर तीन संदर्भ बिंदु तय करने के लिए छोड़ दिया। तथापि, स्थानीय आयुक्त द्वारा की गई रिपोर्ट को निचली अदालत और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया था।

प्रश्न यह है कि यदि स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट लागू अनुदेशों के अनुपालन की कमी से ग्रस्त थी, तो उच्च न्यायालय द्वारा क्या रास्ता अपनाया जाना था?

16. पूर्वोक्त प्रश्न का उचित उत्तर खोजना दूर नहीं है। सिविल वाद के दौरान, आकस्मिक कार्यवाही के माध्यम से, न्यायालय, अन्य बातों के साथ-साथ, सिविल प्रक्रिया संहिता ("संहिता") की धारा 75 के अनुसार स्थानीय जांच करने के लिए एक आयोग जारी कर सकता है। स्थानीय जांच के लिए ऐसे आयोग के संबंध में प्रक्रिया संहिता के आदेश XXVI के नियम 9 और 10 में विनिदष्ट है। वर्तमान उद्देश्य के लिए यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि, आदेश XXVI के नियम 10 के खंड (3) के अनुसार, जहां न्यायालय ऐसे स्थानीय आयुक्त की कार्यवाही से असंतुष्ट है, वह ऐसी आगे की जांच करने का निर्देश दे सकता है जैसा कि उचित माना जाता है। संहिता के आदेश XXVI के नियम 10 का यह खंड (3) निम्नानुसार है:

"जहां न्यायालय किसी भी कारण से आयुक्त की कार्यवाही से असंतुष्ट है, तो वह इस तरह की आगे की जांच करने का निर्देश दे सकता है जैसा कि वह उचित समझेगा।

17. यह तथ्य कि विवाद में मामले को स्पष्ट करने के उद्देश्य से वर्तमान मामले में स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट, और उस मामले के लिए उचित रूप से तैयार की गई रिपोर्ट, किसी बहस का विषय नहीं है, क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24.01.1991 के आदेश को अंतिम रूप दिया गया था, जिसके तहत स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त मुद्दों को खोजने के लिए भेजा गया था। दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारा स्पष्ट रूप से विचार है कि यदि स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट अनियमितता से ग्रस्त थी अर्थात, लागू निर्देशों का पालन करने की कमी थी, तो उच्च न्यायालय के लिए उचित तरीका या तो एक नया आयोग जारी करना था या मामले को पुनर्विचार के लिए रिमांड पर भेजना था, लेकिन स्थानीय आयुक्त की ओर से किसी भी अनियमितता के लिए पूरे मुकदमे को खारिज नहीं किया जा सकता था। इसे अलग तरीके से कहें, तो हमारा स्पष्ट रूप से विचार है कि यदि स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट सीमांकन के उद्देश्य से लागू निर्देशों के अनुपालन में वांछित पाई गई थी, तो यह केवल अनियमितता का मामला था और इसके परिणामस्वरूप केवल ऐसी रिपोर्ट को खारिज कर दिया जा सकता था और ऐसी किसी भी त्रुटि को छोड़कर एक नई रिपोर्ट की आवश्यकता हो सकती थी। अपने आप में स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति की आवश्यकता वाले आदेश को रद्द करने और उनकी रिपोर्ट लेने के बाद निष्कर्ष दर्ज करने का परिणाम नहीं हो सकता था और न ही मुकदमा खारिज कर दिया जा सकता था। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को मंजूरी देने में असमर्थ हैं, जहां आयुक्त की रिपोर्ट को खारिज करने के बाद, उच्च न्यायालय ने सीधे मुकदमा खारिज कर दिया। वादी अपनी भूमि पर प्रतिवादियों द्वारा अतिक्रमण का दावा कर रहे हैं और इस संबंध में मौखिक और दस्तावेजी सबूत भी पेश किए हैं। जैसा कि देखा गया है, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील की अनुमति दी थी और वादी द्वारा दायर मुकदमे को न केवल आयुक्त की रिपोर्ट के संदर्भ में बल्कि पार्टियों के अन्य सबूतों के संदर्भ में भी डिक्री किया था। दुर्भाग्य से, ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सबूतों की अनदेखी की है।

18. परिस्थितियों की समग्रता में, हमारे विचार में, इस मामले में शामिल सभी प्रश्नों के न्यायसंगत और प्रभावी निर्धारण के लिए, उचित तरीका यह है कि एक नया आयोग जारी किया जाए और निचली अदालत को निर्देश दिया जाए कि वह मूल रूप से तैयार किए गए मुद्दों पर और साथ ही अतिरिक्त मुद्दों पर स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट को नए सिरे से लेने के बाद पूरे मुकदमे पर नए सिरे से फैसला करे और पक्षकारों को अपने आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करे। आपत्तियां, यदि कोई हों।

19. तदनुसार, इस अपील को इस तरह से अनुमति दी जाती है कि 1995 के आरएसए संख्या 260 में दिनांक 06.11.2007 के निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया जाता है, लेकिन उक्त अपील को अधीनस्थ न्यायालयों के फैसले और डिक्री को रद्द करके निपटाया जाता है; और वादियों-अपीलकर्ताओं द्वारा दायर मुकदमे को उपरोक्त टिप्पणियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निचली अदालत द्वारा पुनर्विचार के लिए बहाल किया जाता है।

20. पक्षकार अपने संबंधित वकीलों के माध्यम से 05.03.2019 को निचली अदालत के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस पर खड़े होंगे। निचली अदालत से अपेक्षा की जाएगी कि वह आयुक्त की रिपोर्ट पर आपत्तियों, यदि कोई हो, की जांच करने के बाद, पक्षकारों की उपस्थिति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर नए सिरे से और अधिमानतः मुकदमा निपटाने के लिए तुरंत एक नया आयोग जारी करे। कार्यवाही की लागत मुकदमे के अंतिम निर्णय के अनुरूप होगी।

अपील की अनुमति दी गई।

इला देओल, एडवोकेट